

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

आवश्यक सूचना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को तकनीकी, व्यवसायिक एवं प्रोफेशनल कोर्सों में निजी संस्थाओं में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा ऐसे निजी संस्थाएँ जिनके द्वारा तकनीकी, व्यवसायिक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, वैसे संस्थाओं में कोउनशेलिंग कर नामांकन करने हेतु ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.07.2015 के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

2- जो इच्छुक छात्र/छात्रा Online/Offline आवेदन नहीं किया है तो भी 21.07.2015 से संबंधित जिला के लिये निर्धारित तिथि को आकर कोउनशेलिंग में भाग ले सकते हैं।

3- इस सूचना के माध्यम से इच्छुक छात्र/छात्राओं को निर्धारित अंतिम तिथि 25.07.2015 तक आवेदन पत्र के साथ कोउनशेलिंग हेतु वाक-इन-इन्टरभ्यू में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है।

4- कोउनशेलिंग दिनांक-18.07.2015 से 25.07.2015 तक पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, हिन्दी भवन, छज्जुबाग, पटना में निर्धारित किया गया है जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

5- जो छात्र/छात्रा सूचना/संवाद नहीं मिल पाने के कारण दिनांक-25.07.2015 तक आवेदन नहीं दे पाया हो वे भी आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 26.07.2015 से 30.07.2015 तक ऑफिसर्स फ्लैट, 5वां तल्ला, बेली रोड, पटना में आकर कोउनशेलिंग करा सकते हैं।

6- कोउनशेलिंग का तिथिवार निर्धारण निम्न प्रकार है:-

(i) ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिये-

आईडी संख्या	कोउनशेलिंग की तिथि
15061010004 से 15063010176 तक	18.07.2015
15063010178 से 15070610115 तक	19.07.2015
15070610116 से 15071410208 तक	20.07.2015

(ii) ऑफलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों एवं वाक-इन-इन्टरभ्यू में आवेदन करने/भाग लेने वाले आवेदकों के लिये जिलावार तिथि का निर्धारण निम्न प्रकार है -

जिला का नाम	कोउनशेलिंग की तिथि
जमुई, मुर्गेर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बेगुसराय, बाँका एवं भागलपुर के छात्र/छात्रा	21.07.2015
पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढी, शिवहर, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर के छात्र/छात्रा	22.07.2015
गोपालगंज, नालंदा, पटना, जहानाबाद, नवादा, सीवान, छपरा एवं शेखपुरा के छात्र/छात्रा	23.07.2015
गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, बक्सर, कैमुर, भोजपुर एवं लखीसराय के छात्र/छात्रा	24.07.2015
मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार एवं अररिया के छात्र/छात्रा	25.07.2015


7- कोउनशेलिंग के समय छात्र/छात्राओं को अपने साथ निम्न प्रमाण लाना अनिवार्य है:-

(i) वर्ग 10वीं एवं 12वीं का Marksheet तथा Certificate का Original एवं Xerox copy

(ii) जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र का Original एवं Xerox copy

(iii) भरा हुआ ऑन लाईन/ऑफ लाईन आवेदन पत्र।

8- कोउनशेलिंग में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।


सरकार के सचिव

Letter Secretary

15/7/15